राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-
मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012
फैक्स- 011- 25846462
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ (राज.)

फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238056 (Office) Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrg@gmail.com

सर/जन/156/15–16/ दिनाँक अगस्त 2015

निविदा सूचना

केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.) में वर्ष 2015–16 के लिए कृषि स्नातक/परास्नातक/कम्पयूटरचालक/विधुतकार/आटोविधुतकार/ टैक्ट्रर चालक/हेल्पर/मजदूर, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी पर मानव शक्ति उपलब्ध कराने हेतु प्रतिष्ठित मानव शक्ति प्रदाता संस्थाओं से सील बन्द निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। मानव शक्ति उपलब्ध कराने हेतु रू. 50,000/– का बैंक ड्राफट किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक का हो जो कि **"राष्ट्रीय बीज निगम लि0, सरदारगढ़"** के नाम से **सूरतगढ** में देय हो। जो कि निविदा के साथ धरोहर राषि के रूप में जमा करवाना होगा। निविदा दिनाँक 25.08.15 को 12.00 बजे अपराह्न तक इस कार्यालय में दी जा सकती हैं जो कि उसी दिन 2 बजे अपराह्न उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी , निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि 17.08.15 से 22.08.15 तक कार्यालय से रू.100+टैक्स देकर के प्राप्त की जा सकती हैं। यदि दिनांक 25.08.15 को कोई निर्णय नहीं होने पर पुनः 28.08.15 को निविदा ली जायेगी व निविदा प्रपत्र नियम व शर्तें 26.08.15 से 27.08.15 को कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता हैं। यह वेबसाइट www.Indiaseeds.com. पर भी देखी जा सकती हैं।

नोट:– कामगारों की संख्या कम या ज्यादा भी हो सकती हैं।

®
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-
मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012
फैक्स- 011- 25846462
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ (राज.)

फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238056 (Office) Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrg@gmail.com

मानव शक्ति उपलब्ध कराने हेतु नियम व शर्ते

1. मानव षक्ति प्रदाता संस्था मानव षक्ति उपलब्ध करवाने मे किसी भी प्रकार की वैधानिक देयता अथवा पालना हेतु जिम्मेवार होगी।
2. निविदादाता द्वारा रूपये 50,000/– धरोहर राषि का डिमाण्ड ड्राफ्ट DD निविदा देने से पूर्व जमा करानी होगी जिसे असफल निविदादाताओं को वापिस कर दी जायेगी। सफल निविदादाता की धरोहर राषि कार्य की अवधि समाप्ति तक फार्म में जमा रहेगी। जो कार्य की समयावधि सन्तोषजनक पूर्ण होने के बाद ही वापिस की जायेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. यदि संस्था निर्धारित नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करती है तथा माँग अनुसार मानव उपलब्ध नहीं कराती हैं तो जमा धरोहर राषि जब्त कर ली जायेगी तथा उससे होने वाली हानि की भरपाई उसके बकाया बिलों एवं धरोहर राषि से कर ली जायेगी।
4. अनुबन्ध की समय सीमा एक वर्ष की होगी, आवष्यकता होने पर एक वर्ष की समयावधि तक और बढ़ाई जा सकती हैं एवं अनुबन्ध को एक महीने के पूर्व नोटिस पर समाप्त किया जा सकेगा।
5. मानव षक्ति प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध करवाये गये कामगार को मानव षक्ति प्रदाता संस्था द्वारा फोटो आई.डी. कार्ड उपलब्ध करवाना होगा।
6. मानव षक्ति प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध करवाये गये कामगार द्वारा किसी प्रकार का दुर्व्यवहार में संलिप्त पाये जाते हैं तो उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को तुरन्त प्रभाव से लगाना होगा।यदि उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये मानव के किसी कार्य से फार्म को किसी प्रकार की हानि होती हैं तो उसकी भरपाई मानव षक्ति प्रदाता संस्था से की जायेगी।
7. मानव षक्ति प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध करवाये गये कामगार को शालीनता से काम करना होगा,कामगार से किसी भी अनैतिक कृत्य के लिये मानव षक्ति प्रदाता संस्था की जिम्मेवारी होगी।
8. मानव षक्ति प्रदाता संस्था को दिया गया कार्य आदेष संस्था द्वारा किसी अन्य संस्था को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
9. मानव षक्ति प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कामगार को चाहिये कि वह निगम से संबंधित किसी पत्राचार/कार्य तकनीक/सुरक्षा आदि के संबंध में कोई जानकारी किसी अन्य के सामने प्रकट नहीं करेगा।
10. किसी प्रकार की वैधानिक देयता like provisions of industrial Disputers Act, 1947, Contact Labour(Regulations & Abolition)Act,1970 Min.Wages Act, Workmen's compensation Act, PF & ESI Act/Shops & Establishment Act अथवा अन्य अधिनियम/नियम ,जो कि समय समय पर विधि द्वारा स्थापित किये जाये की

पालना की जिम्मेदारी मानव षक्ति प्रदाता संस्था की होगी। निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

11. मानव षक्ति प्रदाता संस्था का कार्य अनुभव कम से कम 5–7 वर्षो का होना चाहिए एवं उसका सालाना Turn over कम से कम रू. 5 से 10 करोड़ का होना चाहिए।
12. संस्था द्वारा उपलब्ध करवाये गये कामगार तथा निगम के बीच कर्मचारी एवं नियोक्ता (मालिक) का सम्बन्ध नहीं होगा एवं मानव षक्ति प्रदाता संस्था इस परिपेक्ष्य एक हल्फनामा (अण्डरटैकिंग) कामगार से लेकर के फार्म को देगा।
13. मानव षक्ति प्रदाता संस्था एवं योग्य व अनुभवी कामगार उपलब्ध करवायेगी जिसकी समय समय पर निगम द्वारा मांग की जायेगी तथा उपरोक्त मांग आवष्यकतानुसार बढ़ाई / घटाई जा सकती हैं।
14. कार्यालय समय सामान्यतः 08 घण्टे प्रतिदिन होगा एवं डियूटी का समय कार्य के अनुसार आवंटित होगी।
15. मानव षक्ति प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध करवाये गये कामगारों को निगम की ओर से आवागमन संसाधन,चिकित्सा सुविधा आदि उपलब्ध नहीं करवाई जायेगी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मानव षक्ति प्रदाता संस्था की होगी।
16. मानव षक्ति प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध करवाये गये कामगारों की योग्यता व अनुभव की जाँच का भार संस्था पर होगा।यदि गलत दस्तावेजों के आधार व अनुभव का संज्ञान निगम को आया तो उपलब्ध कामगार को तुरन्त प्रभाव से कार्य छोड़ना होगा।
17. मानव षक्ति प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले कामगार निगम की जरूरत व आवष्यकतानुसार उपलब्ध करवाये जायेंगे जिनकी संख्या आवष्यकतानुसार घटाई / बढ़ाई जा सकेगी।
18. सफल निविदादाता द्वारा मानव षक्ति उपलब्ध करवाने हेतु एक अनुबन्ध निगम के साथ गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर रूपये 100.00 (रूपये एक सौ मात्र) पर करना होगा जिसका समस्त खर्च संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।
19. यदि मानव षक्ति प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध करवाये गये कामगारों को समय पर वेतन अथवा वैधानिक देयता का पालन नहीं करता हैं तो उसकी भरपाई संस्था से की जायेंगी जो कि 12 प्रतिषत ब्याज सहित होगी।
20. सर्विस टैक्स मानव षक्ति प्रदाता द्वारा बिल में क्लेम करने पर फार्म द्वारा देय होगा तथा टैक्स जमा कराना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी तथा उसका प्रमाण देना होगा।
21. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में मामला आर्बिट्रोन हेतु अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेषक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया जायेगा तथा उनके द्वारा अथवा उनके द्वारा नामित / मनोनीत व्यक्ति के द्वारा किया गया निर्णय दोनो पक्षों के लिए अंतिम व मान्य होगा एवं उसके बाद किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र सूरतगढ़ होगा।
22. ठेकेदार सभी कामगारों को चेक द्वारा भुगतान फार्म अधिकारी के समक्ष करेगा,उसके पष्चात् ही मानव षक्ति संस्था को बिलों का भुगतान किया जायेगा।
23. ठेकेदार अपने सभी कामगारों का ई.पी.एफ. काट करके जमा करेगा उसके पष्चात् ही मानव षक्ति संस्था को बिलों का भुगतान किया जायेगा।
24. ठेकेदार को अपने सभी कामगारों को हर माह के 07 तारीख को वेतन वितरित करना होगा यह ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-
मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012
फैक्स- 011- 25846462
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ (राज.)

फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238056 (Office) Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrg@gmail.com

मानव श्रम–शक्ति उपलब्ध कराने हेतु निविदा–प्रपत्र

TENDER FORM FOR AWARDING CONTRACT FOR PROVIDING MANPOWER TO THE FARM

(क) उपलब्ध कराई जाने वाली श्रम–षक्ति का विवरणः–

क्र. सं.	विवरण	श्रमिकों की सम्भावित संख्या	ठेकेदार द्वारा भुगतान योग्य न्यूनतम मासिक मानदेय प्रतिव्यक्ति (रूपयों में)
1	कृषि स्नातक / कृषि परास्नातक	6	12000 / –व 15100 / – प्रतिमाह
2	बस चालक	1	8000 / –
3	इलेक्ट्रिषियन ऑटो / इलेक्ट्रीषियन(बिजली)	1+1 = 2	8000 / – प्रतिमाह
4	ऑफिस असिस्टेंट कम डेटा इंटरी ऑपरेटर	3	राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी
5	ट्रेक्टर चालक	आवश्यकतानुसार	राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी
6	हेल्पर / सिविल व कृषि मजदूर	आवश्यकतानुसार	राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी
(ख) उपरोक्त ''क'' के अर्न्तगत दर्षायी गयी मानदेय राषि पर ठेकेदार द्वारा फार्म से चार्ज किया जाने वाला अतिरिक्त व्यवस्थापन खर्च की प्रस्तावित दर(प्रतिषत में)			..........................%

ठेकेदार के हस्ताक्षर..................................

ठेकेदार / फर्म का नाम ....

पता...

....

तकनीकी विड

1. फर्म का नाम :–
2. पता :–
3. दूरभाष / फैक्स नं. :–
4. ई.मेल आई.डी. :–
5. फर्म का रजिस्ट्रेषन नं. :–
6. पेन / टेन नं. :–
7. सर्विस टेक्स नं. :–
8. अण्डरटेकिंग :–

मैं .... (फर्म का नाम) द्वारा व्यवस्थापक / प्रोपराईटर फार्म द्वारा निर्धारित नियम व षर्तों को मंजूर करता हूॅ। मैं यह भी वचन देता हूँ कि मैं निविदा में विनिर्दिष्ट सेवा देने पर सभी प्रकार की वैधानिक दायित्वों का पालन करूंगा जैसेः–

i) Contract Labour (Regulation & Abolition Act, 1970)
ii) Minimum Wages Act.
iii) Workmen's compensation Act.
iv) अन्य कोई विधि स्थापित कानून / नियम जो कि समय–समय में लागू किये जायेंगे।

9. धरोहर राषि

a) DD/Bank cheque/CR No.
b) Issuing Bank & Branch with dates.

ठेकेदार के हस्ताक्षर...

ठेकेदार / फर्म का नाम ....

पता...

....